373

संख्या– /2015/9(13)/xxvii(10)/2011

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–10

देहरादूनः दिनांक 20 मार्च, 2015

विषयः– अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुये पेंशनर्स की व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान की प्रकिया में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–184/2013/9(13) /xxvii(7)/2011 दिनांक 18 अप्रैल, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर–3 में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (दिनांक 09.11.2000), जो उत्तराखण्ड राज्य के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09.11.2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य को स्थानान्तरित किये गये हैं तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं तथा जिनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे रू0 40,000 तक हैं, उनके संबंध में स्वीकर्ताधिकारी विभागाध्यक्ष के स्थान पर कार्यालयाध्यक्ष होंगे, किन्तु चिकित्साा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान अन्तर्राज्यीय समायोजन के माध्यम से किये जायेंगे।

2– उक्त के संदर्भ में पेंशनर्स द्वारा वित्त विभाग के अन्य शासनादेश संख्या–286/2011/9(ii) /xxvii(7)/2011, दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 के अनुसार, विभागाध्यक्षों के स्तर से रू0 40,000 तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के निस्तारण की व्यवस्था बहाल किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

3– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, पेंशनर्स द्वारा किये गये अनुरोध के कम में निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के प्रस्तर–3 के अन्त में निम्नलिखित अंश को सम्मिलित किया जायः–

"लेकिन यदि किसी विभाग के कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य में स्थित न हो तो उनके चिकित्साा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण पूर्व की भांति विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जायेगा"।

4– उक्त शासनादेश दिनांक 18 अप्रैल, 2013 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 13/2015/9(13)/xxvii(10)/2011,तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महानिबन्धक, उच्च न्यायायल, नैनीताल।
8. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, देहरादून।
11. क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की।
15. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

Letter section/